

संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया बकाया के रूप में 12 लाख 21 हजार की राशि निगम को प्राप्त हुई

रतलाम 31 अगस्त । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने में उत्साह दिखाते हुए अंतिम दिन 31 अगस्त को संपत्तिकर 8 लाख 75 हजार व जलकर 3 लाख 46 हजार कुल राशि 12 लाख 21 हजार की राशि जमा कराकर अधिभार (पेनल्टी) राशि में छूट का लाभ लिया।

अर्जून नगर में नगर निगम की भूमि का कराया समतलीकरण

रतलाम 31 अगस्त । अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना की भूमि जिसे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था जिस पर कतिपय लोगो द्वारा भूमि पर खेती करना पाये जाने पर आज 31 अगस्त मंगलवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ट्रेक्टर से भूमि का समतलीकरण कराया गया अब भूमि की फेंसिंग का कार्य किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में की गई थी। उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 31 अगस्त को 79 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 31 अगस्त मंगलवार को 79 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

31 अगस्त मंगलवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 38830, काम्पेक्टर सूखा कचरा 27810, काम्पेक्टर गीला 11460, मैजिक 1300 किलो इस तरह कुल 79400 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

नो पार्किंग में खड़े 7 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 31 अगस्त । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 31 अगस्त मंगलवार को नो पार्किंग में खड़े 7 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 31 अगस्त को चांदनी चौक, घांस बाजार, चौमुखी पुल, शहर सराय आदि क्षेत्रों में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर संदीप-भरतलाल राठौर निवासी नामली पर 500, अरविन्द-कैलाश, दिलीप-भरतलाल दो बत्ती,

हर्षित-अशोकसिंह सोलंकी दो बत्ती, जयेश-राजेश भरगट चांदनी चौक, करणसिंह-हीरालाल, शेख शाहबाज हुसैन पर 200-200 रूपये का जुर्माना किया गया।

भैंसों के तबले संचालकों को तबले हटाने हेतु दिये अंतिम निर्देश

रतलाम 31 अगस्त | रतलाम शहर को स्वच्छ-सुन्दर बनाने के लिए स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर में संचालित भैंसों के तबलो को हटाया जाना है जिसके तहत निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में 29 भैंसों के तबलो चिन्हित कर लिया गया है जिसे हटाया जाना है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भैंसों के तबलो को हटाया जाने के अभियान के तहत 31 अगस्त मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने स्वास्थ्य अमले के साथ 7 तबलो पर जाकर तबेला संचालकों को तबले स्वयं हटाकर शहर से बाहर ले जाने के निर्देश दिये अन्यथा निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

31 अगस्त मंगलवार को शरीफ खां-हसन खां, बशीर खां-हसन खां बंजारा बस्ती, बालकिशन शर्मा सूरजमल जैन नगर, कृष्णकुमार गुर्जर उंकाला रोड, हमीद-माजिद शैरानीपुरा, रूआव-फकीर मोहम्मद, असलम बशीर शैरानीपुरा खेड़ा को तबेले स्वयं हटाने की समझाईश दी अन्यथा तबेलो को 01 सितम्बर को नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसों का पालन करना निगम एक्ट के विपरित है, ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले का निर्माण कर भैंसों का पालन कर रहे हैं वे स्वयं अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द्र फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 31 अगस्त | वार्ड क्रमांक 5 स्थित रेल नगर की गली नम्बर 6 में गंदगी फोटो रहवासियों द्वारा व्हाट्स एप भेजे जाकर शिकायत करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड प्रभारी प्रेमचन्द्र फतरोड़ का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटियां हटाई जायेगी

सागोद रोड जैन स्कूल से होगी शुरुआत

रतलाम 31 अगस्त | शहर के मुख्य मार्गों के आसपास अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने व राजसात करने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा आज 01 अगस्त बुधवार से प्रारंभ की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर बिना परमिशन के गुमटियों को लगाया जाता है जिससे यातायात बाधित होने के साथ ही कचरा एवं गंदगी भी होती है ऐसी गुमटियों को आज 01 अगस्त बुधवार से हटाया जाकर राजसात किया जायेगा। गुमटी हटाने व राजसात करने की कार्यवाही सागोद रोड जैन स्कूल से प्रारंभ की जायेगी। अवैध गुमटी धारी अपनी गुमटियां स्वयं हटा लें अन्यथा गुमटियों को हटाकर राजसात किया जायेगा साथ ही जुर्माना भी वसूला जायेगा।

कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 12 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन समय पर नहीं आने की रहवासियों द्वारा शिकायत किये जाने पर कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर दिनेश-शंकरलाल व हैल्पर अजय-प्रकाश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दो कर्मचारियों को सौंपे नवीन दायित्व

रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कार्य व्यवस्था की दृष्टि से संजय बालोद्रा को वार्ड क्रमांक 49 व ऋषी-मोहन को वार्ड क्रमांक 30 का वार्ड प्रभारी नियुक्त किया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 42 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 31 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 31 अगस्त को 44 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में कचरा व गंदगी करने पर रामप्रसाद सैलाना बस स्टैण्ड पर 1000, अशरफ, राजेश कालेज रोड, साईराम मेडिकल, 1 नाहरपुरा पर 200-200, बालाजी चाय, वाधवानी चाय, जितेन्द्र चाय स्टेशन रोड, प्रेमसिंह, श्याम ट्रेडर्स राम मंदिर, जासमीन कंगन स्टोर जावरा रोड, शिरोमणी सीट कवर, सुपर इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज रोड, सुफलम साड़ी, व्यासजी, संस्कार स्टोर, आदित्य, रईस, कविता गांधी, रावल, अवकार स्टोर, छावनीवाला, विरेन्द्र, अरिहंत घांस बाजार, छावनीवाला, मासुम ड्रेसेस, माणक चौक, मौर्य नमकीन सैलाना बस स्टैण्ड, कारु मामा कचौरी दो बत्ती, आनन्द, मालतीबाई, पकाश, भगवती कॉलेज रोड, रविराज टेलर्स, खान साहब, नितिन पर 100-100, जय माँ अम्बे, जनता डेरी स्टेशन रोड, दिलीप, इनायत अली, संजू, मुसद्दर खान, तुलसी, श्री शक्ति मोबाईल कॉलेज रोड पर 50-50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

12501 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 31 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 31 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 12504 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 31 अगस्त को अलकापुरी, राम मंदिर, सैलाना बस स्टैण्ड, वेदव्यास कालोनी क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 31 अगस्त | नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 31 अगस्त | संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 31 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 31 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 31 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/31.08.2021/न.पा.निगम, रतलाम.